गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2019 को प्रातः 09:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
7.	डॉ0 रेणु भट्ट	सदस्य
8.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
9.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
10.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
11.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
12.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्मानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 व्ही.एस. राठौर

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.01.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.01.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 **विभागीय सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण संबंधी कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालयीय ज्ञाप दिनांक 31.01.2019 के पत्र पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालयीय ज्ञाप दिनांक 31.01.2019 में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के आरक्षण रोष्टर का प्रारूप विश्वविद्यालय के आरक्षण रोष्टर निर्माण समिति द्वारा तैयार करा लिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आरक्षण रोष्टर निर्माण समिति के द्वारा प्रस्तावित आरक्षण रोष्टर प्रारूप के आधार पर शैक्षणिक पदों के विज्ञापन का प्रारूप भी तैयार कर लिया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि विज्ञापन जारी करने एवं आरक्षण रोष्टर के अंतिम अनुमोदन का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

कुलपति / अध्यक्ष